न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल।

सी0एन0आर0 नं0–यूकेपीजी–0200 2026

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 48 सन् 2026

1. रमेश उर्फ बाबू उम्र 30 वर्ष पुत्र सोमपाल
निवासी ग्रम लालपुर थाना शाही जिला बरेली उ0प्र0
2. नरोत्तम उम्र 39 वर्ष पुत्र जखीराम
निवासी सेवा ज्वालापुर थाना शाही जिला बरेली उ0प्र0

..... प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य ..... विरूद्ध पक्ष
राजस्व क्षेत्र बनगढ़स्यू–2, जिला पौड़ी गढ़वाल,
मुकदमा अपराध संख्या 1 सन् 2025,
अन्तर्गत धारा 303 (2), 324 (2) व 334 (2) व धारा 3 (5) भारतीय न्याय संहिता, 2023
विवेचक थाना थलीसैंण जिला पौड़ी गढ़वाल।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	श्री के0पी0 बमराड़ा चीफ लीगल एण्ड डिफेस कोन्सिल विधिक सहायकता प्रतिरक्षा प्रणाली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी
राज्य की ओर से उपस्थित	श्री कु0 वर्षा, सहायक अभियोजन अधिकारी

दिनॉक 16.06.2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रमेश उर्फ बाबू एवं नरोत्म की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र राजस्व क्षेत्र बनगढ़स्यू–2, जिला पौड़ी गढ़वाल के मुकदमा अपराध संख्या 1 सन् 2025, अन्तर्गत धारा 303 (2), 324 (2) व 334 (2) व धारा 3 (5) भारतीय न्याय संहिता, 2023, विवेचक थाना थलीसैंण जिला पौड़ी गढ़वाल में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर तर्क किया गया है कि उन्हें झूठा एवं गलत रूप से फर्जी एवं मनगढ़न्त तथ्यों पर फंसाया गया है, उनसे झूठी बरामदगी दिखाई गई है, उनके द्वारा न तो चोरी का अपराध किया गया है और न ही उनसे किसी चोरी का सामान/पैसे ही बरामद किये गये हैं। अभियुक्तगण के विरूद्ध कथित अपराध में अधिकतम् 07 वर्ष से कम की सजा है और मामला इसी न्यायालय से विचारणीय है। अभियुक्तगण दि0 10.06.2026 से कारागार में निरूद्ध है। वह न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत दाखिल करने को तैयार हैं। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमनात पर रिहा किया जाय।

3. अभियोजन की ओर से कथन किया गया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 303 (2), 324 (2) व 334 (2) व धारा 3 (5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 का अपराध है तथा कथित अपराध अजमानतीय हैं। अभियोजन की ओर से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए उनकी जमानत का घोर विरोध किया गया।

4. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना गया एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. अभियोजन प्रपत्रों से विदित है कि दि0 14.05.2026 को वादी मुकदमा ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कैमन गांव की सीमा में लगे उनके अलटस टावर के गेट का ताला तोड़ कर मशीन को क्षतिग्रस्त कर सामान व केबिल कार्ड की चोरी की गई। दौरान विवेचना अभियुक्तगण द्वारा अपराध किया जाना पाया गया।

तदनुसार अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया और अभियुक्तगण को दि0 10.06.2026 को न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेजा गया।

6. न्यायालय के मत में अभियुक्तगण के द्वारा कारित अपराध इसी न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा 07 वर्ष से कम सजा से दण्डनीय अपराध है। अधिरोपित आरोपों में अधिकतम् सजा 07 वर्ष तक की अवधि से दण्डनीय है। अभियुक्तगण माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा **अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं सतेन्द्र कुमार अनटिल बनाम सी0बी0आई0 व अन्य** में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त का लाभ पाने का अधिकारी हैं। इसके अलावा अभियुक्तगण दिनॉक 10.06.2026 से जेल में निरूद्ध है। अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास नही है। कोई स्वतंत्र साक्षी भी नही है।

7. अतः समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत, मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रमेश उर्फ उमेश बाबू एवं नरोत्तम की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 303 (2), 324 (2) व 334 (2) व धारा 3 (5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ₹ 20,000 (बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व इसी राशि के दो–दो जमानती प्रस्तुत करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

इस आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रदान किये जाने हेतु तत्काल अधीक्षक जिला कारागार पौड़ी गढ़वाल को प्रेषित की जाय तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को एक प्रति अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाए।

दिनॉक 16.06.2026

(शहजाद ए0 वाहिद)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पौड़ी गढ़वाल।